श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषयः– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K.C. [illegible] 11/01/23

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं ① नुनु महतो ② जगदीश महतो ③ राधेश्याम महतो

ग्राम पाण्डेडीह पो0 कोडरमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा पाण्डेडीह
2. थाना कोडरमा
3. थाना नं0 282
4. खाता नं0 23
5. प्लॉट नं0 278
6. रकवा 16 डी०
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अद्यतन रसिद नं0 00384998857
9. दा0 खारजि वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

① नुनु महतो
② जगदीश महतो
③ राधेश्याम महतो

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

## भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....03...../2023

12.01.2023

आवेदक 1 नुनु महतो 2 जगदीश महतो 3 राधेश्याम महतो, तीनों के पिता स्व0 खोसो कोयरी, साकिन–पाण्डेयडीह, पोस्ट–कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

| मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| पाण्डेयडीह | 282 | 23 | 278 | 16 डी0 | रैयती |

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ....19..../....01..../2023 को प्रस्तुत करें।

12/01/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

19.01.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पाण्डेयडीह, थाना नं0–282, खाता सं0–23, प्लॉट, सं0–278, रकवा–16 डी0 एवं प्लॉट सं0–543, रकवा–9.5 डी0 कुल रकवा–25.5 डी0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–30 भाग संख्या–01 पर श्री खोसो कोयरी पिता भोला कोयरी के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–26 दिनांक 17.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा–पाण्डेयडीह, थाना नं0–282, खाता सं0–23, प्लॉट सं0–278, रकवा–16 डी0 भूमि निबंधन योग्य है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–पाण्डेयडीह, थाना नं0–282, खाता सं0–23, प्लॉट, सं0–278, रकवा–16 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

19/01/23

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.02.06 17:34:03 +05:30
Location: 192.168.29.246

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।